कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार

[स्रोत: द हिंदू](https://www.thehindu.com)

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** को वित्तीय सुरक्षा और ऋण पात्रता में सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु **1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** की सीमा का विस्तार किया।

- AIF अब "**सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं**" के अंतर्गत आने वाली बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिये योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को अनुमति देगा, इससे विकास, उत्पादकता, कृषि आय और समग्र कृषि स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
    - FPO के लिये वित्तीय सहायता को शामिल करने हेतु इसे पुनर्कल्पित किया जाएगा ताकि उनकी वित्तीय सुरक्षा और ऋण-योग्यता बढ़ाई जा सके।
- **AIF**: AIF **जुलाई 2020 में शुरू की गई** एक वित्तपोषण सुविधा है।
    - इसका उद्देश्य किसानों, कृषि-उद्यमियों, **स्वयं सहायता समूहों (SHG)**, संयुक्त देयता समूहों (JLG) आदि जैसे किसान समूहों और कई अन्य लोगों को पूरे देश में फसल-उपरांत प्रबंधन, बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **FPO: FPO किसानों के एक समूह द्वारा गठित कानूनी संस्थाएँ हैं, जिनके समान हित और लक्ष्य होते हैं।**
    - वे सहकारी समितियों, कंपनियों, ट्रस्टों या सोसायटियों जैसे विभिन्न कानूनी रूपों के तहत पंजीकृत हैं। उनका उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को उनकी उपज और सौदेबाजी की शक्ति को एकत्र करके वित्त एवं बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है।
    - वे अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता, इनपुट आपूर्ति, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन भी प्रदान करते हैं।

और पढ़ें: कृषि अवसंरचना कोष, किसान उत्पादक संगठन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/agriculture-infrastructure-fund-expanded